न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/58/2016	2016/00122	22.08.2016	10.06.2024

1.रामकिशन पुत्र स्व0 श्री रामनिवास उम्र करीब 48 साल, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम थौंसडी तहसील रैणी जिला अलवर।
2.केदार पुत्र स्व0 श्री रामनिवास उम्र करीब 45 साल, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम थौंसडी तहसील रैणी जिला अलवर।
3.विश्म्भर पुत्र स्व0 श्री रामनिवास उम्र करीब 43 साल, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम थौंसडी तहसील रैणी जिला अलवर।

——अपीलान्टान

बनाम

1.विद्यादेवी पत्नी श्री कैलाश जाति ब्राह्मण उम्र करीब 55 साल निवासी ग्राम थौंसडी तहसील रैणी जिला अलवर।
2.ग्राम पंचायत भूलेरी जरिये सचिव, ग्राम पंचायत भूलेरी, पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.04.1988 द्वारा ग्राम पंचायत भूलेरी पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर जिसके द्वारा खुलवाए जाने के आदेश सादिर किये जो आदेश/निर्णय निरस्त किये जाने व स्वीकार किये जाने अपीलान्ट व दीगर दादरसी।

उपस्थितः—

01.श्री विमल कुमार जैन	—वकील अपीलाण्टान
02.श्री धर्मेन्द्र जैसावत	—वकील रैस्पोडेन्ट 01
03.श्री शिवसहाय मीना	—वकील रेस्पोडेन्ट 02

—:: निर्णय ::—

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.04.1988 द्वारा ग्राम पंचायत भूलेरी पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अपीलान्ट की आराजी अपने पिता स्व0 श्री रामनिवास के नाम से जमाबंदी सम्वत् आराजी ख0न0 325 ग्राम थौंसडी तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है तथा आराजी ख0न0 324 रेस्पोडेंट संख्या 01 श्रीमती विद्यादेवी के ससुर लक्ष्मीनारायण के नाम से वाके ग्राम थौंसडी तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट के ससुर स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री छुट्टनलाल ने दिनांक 07.04.1988 को ग्राम पंचायत भुलेरी तहसील रैणी जिला अलवर में एक प्रार्थना पत्र आमजनता की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया था

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

कि रेस्पो0 की आराज खसरा न0 324 में आने जाने का रास्ता अपीलान्ट की आराजी खसरा न0 325 में से होकर बना हुआ है जिसे अपीलांटान के पिता रास्ता तोडकर खेत में मिलाने की कोशिश में हैं। जिसके लिए अपीलान्टान के पिता ने रास्ते में पत्थन डाल दिये हैं को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेस्पो0 संख्या 01 के ससुर लक्ष्मीनारायण के अलावा किसी अन्य ग्रामीण के हस्ताक्षर नहीं थे। जिससे भी साबित होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत भूलेरी में प्रस्तुत किया गया था और उक्त प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत भूलेरी ने विविध रजिस्टर के क्रमांक संख्या 02 पर दर्ज किया था।

उक्त प्रार्थना पत्र पर मौका मुआयना मनोनीत सदस्य (1) ईश्वर मल (2)सुरजनराम (3)मुरलीधर द्वारा दिनांक 08.04.1988 को तथाकथित रूप से किया गया था और ग्राम पंचायत भूलेरी के द्वारा दिनांक 22.04.1988 को उक्त प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर अपना निर्णय पारित किया था। ग्राम पंचायत भूलेरी द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत भूलेरी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन किया है। मनोनीत सदस्यों द्वारा आराजी खसरा न0 325 का किसी प्रकार का कोई मौका निरीक्षण नहीं किया गया। अपीलान्टान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ग्राम पंचायत भूलेरी में सूचना के अधिकारी के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत भूलेरी के निर्णय दिनांक 22.04.1988 की प्रमाणित प्रति दिलवाई जावे लेकिन ग्राम पंचायत भूलेरी के सचित के द्वारा प्रेषित अपने जवाब में यह अंकित किया कि दिनांक 22.04.1988 के निर्णय का रिकॉर्ड के अभाव में चाही गई सूचना नहीं दी जा सकती। ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर पता चला की उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई मौका निरीक्षण नहीं किया गया। इस हेतु साक्ष्य के रूप में उन्होंने 10/–रूपये के स्टाम्प पर अपनी फोटो चस्पा कर एक शपथ पत्र इस आशय का दिया कि उक्त विवादित रास्ते के संबंध में हमने कोई मौका नहीं देखा, ना ही मौका निरीक्षण किया, ना ही पंचायत सरपंच द्वारा मेरे सामने या मेरी उपस्थिति में कोई निर्णय पारित किया और उक्त तथाकथित निर्णय में जो अगूंठा निशानी अंकित की गई है वह भी हमारी नहीं है। उक्त शपथ पत्रों से भी यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत भूलेरी के द्वारा दिनांक 22.04.1988 का तथाकथित पारित निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमती विद्या देवी के ससुर लक्ष्मीनारायण के साथ साजबाज होकर मिन अपीलान्टान को नुकसान पहुंचाने की गरज से उक्त निर्णय पारित किया गया है और जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका होने के कारण निरस्त योग्य है।

ग्राम पंचायत भूलेरी द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 22.04.1988 इसलिये भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि लक्ष्मीनारायण के द्वारा उक्त रास्ते के बाबत ही दिनांक 19.03.1989 को एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत भूलेरी में प्रस्तुत किया था। यदि ग्राम पंचायत भूलेरी के द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 22.04.1988 यदि वास्तव में निर्णित कर दिया होता तो रेस्पोडेंट संख्या 01 के ससुर लक्ष्मीनारायण द्वारा जरिये कैलाश चंद के नाम से उसी रास्ते के बाबत अन्य प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत भूलेरी में प्रस्तुत नहीं किया जाता और यहां यह भी काबिले गौर है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.1989 जो दिनांक 22.04.1989 को अदम पैरवी में खारिज हुआ है। जिससे भी बखूबी साबित होता है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 22.04.1988 गलत तथ्यों को आधार बनाते हुए अपीलान्टान को नुकसान पहुंचाने की गरज से तैयार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

किया गया है। अपीलांटान की आराजी खसरा न0 325 खातेदारी काश्त की आराजी है उक्त आराजी में अपीलान्ट की रिहायश है। उक्त आराजी में से होकर रेस्पोडेंट की आराजी खसरा न0 324 में आने जाने का कभी रास्ता नहीं रहा है। ग्राम पंचायत भूलेरी ने अपीलान्टान की आराजी खसरा न0 325 में जो रास्ता खुलाने का आदेश पारित किया है वो आराजी में होकर है जिसे किसी भी कानून के तहत उचित नहीं है और ग्राम पंचायत भूलेरी के द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित कर विधि की मंशा की घोर अवहेलना की है। जिससे उक्त विवादित आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलांटान को आलोच्य निर्णय की केवल जानकारी हुई है किन्तु इसका प्रमाण अथवा रिकॉर्ड अभी तक हरसंभव प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिये अब दिनांक 22.07.2016 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय राजगढ के यहां मुकदमा बउनवान रामनिवास बनाम लक्ष्मीनारायण में से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भूलेरी पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 22.04.1988 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया किन्तु प्राप्त नहीं हुआ। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपीलान्ट द्वारा अपील ग्राम पंचायत भूलेरी के आदेश दिनांक 22.04.1988 के विरूद्ध दिनांक 17.08.2016 को प्रस्तुत की गई है, जो करीब 28 वर्ष 03 माह के विलम्ब से पेश की गई है। जिससे जाहिर है कि अपील काफी समय बाद पेश की गई है। व्यतीत हुए करीब 28 वर्ष 03 माह के समय को माफ करने हेतु दिन–प्रतिदिन का हिसाब दिया जाना चाहिए जबकि उक्त समय को कन्डोन किए जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई खास तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। अपील अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)